न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– नरेन्द्र के.वर्मा(आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 19/2020 (जीसीएमएस नं0 2020/00035)

उनवान प्रकरण

पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर राज0 .....आवेदक

बनाम

1–नवलसिंह पुत्र श्री रामदीन, उम्र 25वर्ष जाति लोधा निवासी पटवार घर के सामने ग्राम सादिकपुर तहसील व जिला धौलपुर
2–मैसर्स प्रधान डेयरी, सदर थाने के पास धौलपुर .....अभियुक्त

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/ 51
एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–

आवेदक की ओर से :– श्री पदमसिंह परमार ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :– स्वंय

निर्णय

दिनांक – 09.12.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 10.08.2019 को समय सुबह 11.10 बजे गाडी संख्या आरजे 11 जीबी 0987 टाटा 470 को रोककर, उसमें मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उस व्यक्ति का नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम नवलसिंह पुत्र श्री रामदीन उम्र 25 वर्ष जाति लोधा निवासी पटवार घर के सामने ग्राम सादिकपुर जिला धौलपुर बताया एंव गाडी में मौजूद 34 टंकियों में मिश्रित दूध (प्रत्येक में 40 लीटर) भरा हुआ था, यह प्रधान डेयरी धौलपुर का होना बताया गया तथा इस गाडी पर स्वंय को नौकर होना जाहिर किया, विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र वर्ष 2019 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र डेयरी पर होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि टैंकर में रखी एल्यूमिनियम की 34 टंकीयों में लगभग 1360 लीटर मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस मिश्रित दूध में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मिश्रित दूध का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है। विक्रेता के उक्त 1360 लीटर दूध में से 2 लीटर

मिश्रित दूध वास्ते नमूना जॉच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता नवलसिंह पुत्र रामदीन को 80/–रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर मैने स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध जो एक साफ जग में लिया गया था को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिश्रित दूध को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किया गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेवलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी–1638 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलिन की मात्रा, आदि दर्ज कर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न0 डी–1638 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह उपर, नीचे, दांये, बांये सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर मैने भी हस्ताक्षर किये एंव चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनाकर, समझाकर नवलसिंह पुत्र श्री रामदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना डी–1638 वास्ते जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/ 480/एक्ट/2019/493 दिनांक 29.08.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिश्रित दूध अनसेफ प्रकृति का पाया गया जिस पर उनके द्वारा नियमानुसार नमूना पुनः जांच हेतु आवेदन किया जिससे नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र भेजा गया जहां से जांच रिपोर्ट में नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। दोनों मूल जांच रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकरण से संबधित समस्त कागजात आवेदक ने अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को प्रस्तुत किये। जिन्होने न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने बावत स्वीकृति प्रदान की। साथ ही न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयक अधिकारी धौलपुर के समक्ष पेश करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टैंडर्ड दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रसंज्ञान लिया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर से अप्रार्थी मैसर्स प्रधान डेयरी सदर थाने के पास धौलपुर के विरूद्व पूर्व में दर्ज प्रकरणों/अवमानक नमूनों की सूचना तलव की गई।

हमने पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी वहस में परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि दूध को हिला मिलाकर तथा एकरूप कर नमूना जॉच हेतु खरीदा गया था जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये है। फार्म 5ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर सही मानकर हस्ताक्षर किये है। नमूना एवं शील करने का तरीका विधिक प्रावधानों के अधीन किया गया है। स्वंय विक्रेता द्वारा दूध आम जनता को विक्रय हेतु बताया है। नमूना संख्या डी–1638 वास्ते जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिश्रित दूध अनसेफ प्रकृति का पाया गया जिस पर उनके द्वारा नियमानुसार नमूना पुनः जांच हेतु आवेदन किया जिससे नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र भेजा गया जहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट में नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। दोनों मूल जांच रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैंडर्ड दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य है जिसके लिये अभियुक्तगण दोषी है। पैरोकार सरकार ने अपनी वहस में यह भी बताया कि अप्रार्थी मैसर्स प्रधान डेयरी सदर थाने के पास धौलपुर के विरूद्व पूर्व में भी दर्ज प्रकरणों/अवमानक नमूनों के निम्न प्रकार प्रकरण न्यायालयों में दर्ज हुये हैः–

क0 सं0	कोर्ड एवं सीरियल नं0	दिनांक	खाद्य पदार्थ	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	जांच परिणाम	न्यायालय जिजमें प्रकरण प्रस्तुत किया गया
1	डी–762	31.1.2015	मिश्रित दूध	पदम सिंह परमार	सबस्टेण्डर्ड	न्याय निर्णायक अधिकारी धौलपुर
2	डी–915	22.10.2015	मिश्रित दूध	महेश कुमारशर्मा	सबस्टेण्डर्ड	न्याय निर्णायक अधिकारी धौलपुर
3	डी–1328	9.6.2017	मिश्रित दूध	पदम सिंह परमार	सबस्टेण्डर्ड	न्याय निर्णायक अधिकारी धौलपुर
4	डी–1357	30.6.2017	मिश्रित दूध	पदम सिंह परमार	अनसेफ	न्याया0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर
5	डी–1358	30.6.2017	मिश्रित दूध	पदम सिंह परमार	अनसेफ	न्याया0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर
6	डी–1638	10.8.2019	मिश्रित दूध	पदम सिहं परमार	सबस्टेण्डर्ड	न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0जिलामजिस्ट्रेट धौलपुर

इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्व पूर्व में दर्ज प्रकरणों से यह सावित होता है कि वह मिश्रित दूध में मिलावट करने का आदतन है। अतः अभियुक्तगण पर अधिक से अधिक जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी द्वारा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की है।

हमने उभयपक्षों की वहस मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द रिपोर्ट से यह सावित है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.08.2019 को समय सुबह 11.10 बजे गाडी संख्या आरजे 11 जीबी 0987 टाटा 470 को रोककर, उसमें मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उस व्यक्ति का नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम नवलसिंह पुत्र श्री रामदीन उम्र 25 वर्ष जाति लोधा निवासी पटवार घर के सामने ग्राम सादिकपुर जिला धौलपुर बताया एंव गाडी में मौजूद 34 टंकियों में मिश्रित दूध (प्रत्येक में 40 लीटर) भरा हुआ था, यह प्रधान डेयरी धौलपुर का होना बताया गया तथा इस गाडी पर स्वंय को नौकर होना जाहिर किया, विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र वर्ष 2019 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र डेयरी पर होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि टैंकर में रखी एल्यूमिनियम की 34 टंकीयों में लगभग 1360 लीटर मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। विक्रेता के उक्त 1360 लीटर दूध में से 2 लीटर मिश्रित दूध वास्ते नमूना जॉच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता नवलसिंह पुत्र रामदीन को 80/–रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनाकर, समझाकर नवलसिंह पुत्र श्री रामदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना डी–1638 वास्ते जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/ 480/एक्ट/2019/493 दिनांक 29.08.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिश्रित दूध अनसेफ प्रकृति का पाया गया जिस पर अप्रार्थी नवलसिंह पुत्र रामदीन R/O प्रधान डेयरी धौलपुर द्वारा नियमानुसार नमूना पुनः जांच हेतु आवेदन किया जिससे नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र भेजा गया जहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/543/19/1217/2019 के अनुसार उक्त नमूना संख्या डी–1638 खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) पाया गया। दोनों मूल जांच रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है।

इस प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया है तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त 1360 लीटर सबस्टैडर्ड दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भी बताया कि अप्रार्थी मैसर्स प्रधान डेयरी सदर थाने के पास धौलपुर के विरूद्व पूर्व में भी मिश्रित दूध अवमानक नमूनों के 06 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में दर्ज हुये है जिनमें से 02 प्रकरण वर्ष 2015 के सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के, 01 प्रकरण दिनांक 9.6.2017 का सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का, 02 प्रकरण दिनांक 30.6.2017 अनसेफ प्रकृति का तथा एक प्रकरण दिनांक 10.8.2019 सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का दर्ज हुये है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्व पूर्व में दर्ज प्रकरणों से यह सावित होता है कि वह मिश्रित दूध में मिलावट करने का आदतन है। अतः आवेदक का न्यायनिर्णयन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आवेदक का न्यायनिर्णयन आवेदन स्वीकार किया जाकर अभियुक्त/अप्रार्थी श्री नवलसिंह पुत्र रामदीन जाति लोध उम्र 25 वर्ष निवासी पटवार घर के सामने ग्राम सादिकपुर जिला धौलपुर एंव मैसर्स प्रधान डेयरी सदर थाने के पास धौलपुर द्वारा 1360 लीटर सबस्टैंडर्ड दूध जिसका विक्रय किया जाना था जो अनुचित लाभ कमाने हेतु था और जिससे व्यापक स्तर पर उपभोगकर्ताओं/क्रेताओं/व्यक्तियों को हानि (आर्थिक एवं स्वास्थ्य) होने की प्रबल संभावना मौजूद थी अथवा हानि होना निश्चित था तथा अभियुक्त/अप्रार्थी लगातार उल्लधंन की पुनरावृर्ति कर रहा था को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 1,25000/–रू0 (एक लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेन्द्र के. वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)